कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 130/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 01.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट
थाना– बिलरियागंज, जनपद– आजमगढ़

दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस की सक्रियता से राजेन्द्र नगर कस्बा क्षेत्र से गिरफ्तारी

अभियुक्ता के विरुद्ध संबंधित धाराओं में विधिक कार्यवाही प्रचलित

आजमगढ़। थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या के प्रकरण में वांछित एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

➡ दिनांक 20.03.2026 को वादी द्वारा थाना बिलरियागंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी रिश्तेदारी की एक महिला की शादी लगभग 04 वर्ष पूर्व थाना बिलरियागंज क्षेत्र के राजेन्द्र नगर कस्बा निवासी अजय पुत्र रामाश्रय के साथ हुई थी।

➡ आरोप है कि विवाह के उपरांत दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था तथा दिनांक 19.03.2026 को पति, सास, ससुर एवं अन्य परिजनों द्वारा मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी गई।

➡ प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 64/26 धारा 80(2), 85 BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

➡ दिनांक 01.04.2026 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम राजेन्द्र नगर कस्बा बिलरियागंज क्षेत्र से वांछित अभियुक्ता मीरा उर्फ मुराती देवी पत्नी रामाश्रय विश्वकर्मा को समय लगभग 09:10 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡ गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग–
☐मु0अ0सं0 64/26 धारा 80(2), 85 BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्ता–
☐मीरा उर्फ मुराती देवी पत्नी रामाश्रय विश्वकर्मा निवासी राजेन्द्र नगर कस्बा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
☐सुनील कुमार दुबे, थानाध्यक्ष बिलरियागंज
☐का0 छट्ठु साहनी
☐का0 संजय सिंह
☐म0का0 मधुबाला
थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

थाना– बिलरियागंज, जनपद– आजमगढ़

☐नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

☐पुलिस की सक्रियता से भीमबर पुलिया के पास से गिरफ्तारी

☐अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित धाराओं में विधिक कार्यवाही प्रचालित

आजमगढ़। थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

➡☐दिनांक 29.03.2026 को थाना बिलरियागंज क्षेत्र की एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 17 वर्ष 6 माह) कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी, जिसे रास्ते में अभियुक्त सहरेयार पुत्र शफकत निवासी मेहरा चाँदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया।

➡☐इस संबंध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 75/2026 धारा 87/137(2) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

➡☐दिनांक 01.04.2026 को उ0नि0 गिरिजेश यादव मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सहरेयार पुत्र शफकत को भीमबर पुलिया के पास से समय लगभग 10:25 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡☐गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग–
□मु0अ0सं0 75/2026 धारा 87/137(2) BNS थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त–
□सहरेयार पुत्र शफकत निवासी मेहरा चाँदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
□सुनील कुमार दुबे, थानाध्यक्ष बिलरियागंज
□उ0नि0 गिरिजेश यादव
□का0 शिवम शर्मा
□का0 नरेन्द्र सिंह
थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, थाना बिलरियागंज

वारंटियों पर शिकंजा: बिलरियागंज पुलिस ने 05 अभियुक्त दबोचे

आजमगढ़। वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलरियागंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के कुशल निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष बिलरियागंज सुनील कुमार दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों में रामबचन पुत्र अमेरिका, जालन्धर पुत्र लालसा, अमेरिका पुत्र स्व० स्वारथ, हरिओम पुत्र अमेरिका निवासीगण ग्राम बर्नापुर थाना बिलरियागंज तथा शाहआलम पुत्र स्व० जमालुउद्दीन निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज शामिल हैं।

गिरफ्तार सभी वारंटियों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रेस नोट
थाना– जहानागंज, जनपद– आजमगढ़

□उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम के तहत 01 अभियुक्त गिरफ्तार
□जनपद से निष्कासन आदेश का उल्लंघन करने पर की गई कार्यवाही
□अभियुक्त का पूर्व से आपराधिक इतिहास दर्ज

आजमगढ़। थाना जहानागंज पुलिस द्वारा उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम के तहत निष्कासन आदेश का उल्लंघन करने वाले 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण–

➡□अभियुक्त वरुण कुमार गौतम पुत्र सन्तलाल राम निवासी ग्राम बिरदईया खालसा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पूर्व में थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 185/23 एवं मु0अ0सं0 195/24 के अभियोगों में न्यायालय में विचारण प्रचलित है।

➡□उक्त अभियोगों के दृष्टिगत माननीय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), आजमगढ़ द्वारा वाद सं0 3575/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत आदेश दिनांक 12.02.2026 द्वारा अभियुक्त को 02 माह की अवधि हेतु जनपद आजमगढ़ की सीमा से बाहर रहने हेतु निर्देशित किया गया था।

➡□इसके बावजूद अभियुक्त द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए जनपद सीमा के भीतर रहकर आमजन में भय का वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण–

➡□दिनांक 01.04.2026 को उ0नि0 लवकुंश कुमार सोनकर मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम कारीसाथ क्षेत्र से अभियुक्त वरुण कुमार गौतम को गिरफ्तार किया गया।

➡□अभियुक्त के विरुद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 76/26 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग–

□मु0अ0सं0 76/26 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त–

□वरुण कुमार गौतम पुत्र सन्तलाल राम निवासी ग्राम बिरदईया खालसा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 24 वर्ष)

आपराधिक इतिहास–

□मु0अ0सं0 185/2023 धारा 323, 504, 506, 308, 325, 435, 147 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
□मु0अ0सं0 195/2024 धारा 323, 376, 427, 458, 506 भादवि तथा 67ए आई0टी0 एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

□उ0नि0 लवकुंश कुमार सोनकर
□का0 गोविन्द सिंह
□का0 अमित कुमार

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना– मुबारकपुर, जनपद– आजमगढ़

□अपने ही पिता पर जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□अभियुक्त की निशानदेही पर आलाजुर्म कुल्हाड़ी बरामद

□पुलिस की त्वरित कार्यवाही से अभियुक्त गिरफ्तार

आजमगढ़। थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा अपने ही पिता पर जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की गई है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण–

➡ □दिनांक 31.03.2026 को वादी बृजबिहारी पुत्र ज्ञानधारी निवासी ग्राम पिचरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उनके भाई गोविन्द पुत्र ज्ञानधारी द्वारा अपने पिता ज्ञानधारी से जमीन अपने नाम लिखने का दबाव बनाते हुए गाली-गलौज किया गया तथा जान से मारने की नीयत से उनके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

➡ □इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 125/26 धारा 109(1), 351(3) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

➡ □दिनांक 01.04.2026 को उ0नि0 अश्विनी कुमार मिश्र मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा विवेचना के दौरान ग्राम पिचरी पहुंचने पर अभियुक्त गोविन्द पुत्र ज्ञानधारी को वादी एवं उनके सहयोगियों द्वारा पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया गया।

➡ □पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर थाने लाया गया तथा पूछताछ के उपरांत अभियुक्त की निशानदेही पर समय लगभग 12:41 बजे घटना में प्रयुक्त आलाजुर्म कुल्हाड़ी बरामद की गई।
अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग–
□मु0अ0सं0 125/26 धारा 109(1), 351(3) BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त–
□गोविन्द पुत्र ज्ञानधारी निवासी ग्राम पिचरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी–
□आलाजुर्म कुल्हाड़ी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
□उ0नि0 अश्विनी कुमार मिश्र मय हमराह कर्मचारीगण
थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना– मुबारकपुर, जनपद– आजमगढ़

□सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले 06 वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

□घटना में प्रयुक्त 02 अदद दरांती बरामद

□अभियुक्त के कब्जे से ₹5800 नगद व मोबाइल फोन बरामद

□पुलिस की सक्रियता से अभियुक्तों की सफल गिरफ्तारी

आजमगढ़। थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने व अमर्यादित व्यवहार करने की घटना में शामिल 01 नफर अभियुक्त व 05 नफर वांछित अभियुक्ताओं को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त दरांती बरामद की गई है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण–

➡ □दिनांक 31.03.2026 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 43/26 धारा 2(ख)(1)/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु ग्राम मलिकसुदनी में दबिश दी जा रही थी।

➡ □इसी दौरान अभियुक्त विमलेश यादव पुत्र रामबदन यादव व अन्य नामजद व्यक्तियों द्वारा दरांती, डंडा आदि से लैस होकर गाली-गलौज करते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिससे वांछित अभियुक्त मौके से फरार हो गए।

➡ □उक्त संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 123/26 धारा 109(1), 121(2), 115(2), 352, 74, 3(5), 249 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

➡ □दिनांक 31.03.2026 को उ0नि0 धीरेन्द्र नारायण शुक्ल मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा क्षेत्र भ्रमण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टडिया चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण मलिकसुदनी तिराहे पर कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं।

➡ □सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए अभियुक्त विमलेश यादव व 05 अभियुक्ताओं को समय लगभग 22:00 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡ □अभियुक्त विमलेश यादव के कब्जे से ₹5800 नगद व एक अदद विवो एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा अभियुक्ता गुड़िया यादव के कब्जे से एक अदद विवो एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ।

➡ □गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद दरांती बरामद की गई।

पंजीकृत अभियोग–

□मु0अ0सं0 123/26 धारा 109(1), 121(2), 115(2), 352, 74, 3(5), 249 BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ताएं–

1. विमलेश यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी मलिकसुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. पूजा कुमारी पत्नी विमलेश यादव निवासी मलिकसुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. रेखा यादव उर्फ प्रीती पुत्री रामकेश निवासी कोढ़वा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
4. गुड़िया यादव पत्नी बृजेश यादव निवासी भोजपुर पतिला थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ (वर्तमान पता– मलिकसुदनी थाना मुबारकपुर)
5. नीलम यादव पत्नी दलसिंगार यादव निवासी मलिकसुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
6. सरिता पत्नी ज्ञान यादव निवासी गोडारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी–
□02 अदद दरांती
□₹5800 नगद
□02 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन (विवो कम्पनी)

आपराधिक इतिहास–
विमलेश यादव पुत्र रामबदन यादव
□मु0अ0सं0 123/26 धारा 109(1), 121(2), 115(2), 352, 74, 3(5), 249 BNS थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
□मु0अ0सं0 108/2017 धारा 323, 354(घ), 504, 506 भादवि व 3(1), 3(2)(V) SC/ST Act थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
उ0नि0 धीरेन्द्र नारायण शुक्ल मय हमराह कर्मचारीगण
थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़